कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक 294/ दो–11–05/2023 रायगढ़, दिनांक 23.07.2024

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 255 दिनांक 14.08.2023 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन कमांक 1712/भर्ती समिति/2023 दिनांक 03.06.2023 के परिपेक्ष्य में चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप प्रतिक्षा सूची के अनुसार प्रशासकीय समिति के प्रतिवेदन दिनांक 05.07.2024 के अनुशंसा अनुसार प्रतिक्षा सूची में दर्ज नीचे उल्लेखित वर्ग के प्रथम अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण दिनांक से **सहायक ग्रेड–03 के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन लेबल 4 (19500 से 62000)** में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:–

क्र.	नाम व पिता का नाम	निवास का पता	चयनित संवर्ग
1	मनीष मेहर आत्मज श्री आशाराम मेहर	ग्राम व पो. रेड़ा, तह. सारंगढ़ जिला – सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) पिन–496450	अनारक्षित (मुक्त)
2	झाडूराम श्रीवास आत्मज श्री मिलाप राम श्रीवास	मु. पो. व तहसील हसौद, व्हाया बिर्रा जिला–सक्ती (छ.ग.) पिन–495661	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)
3	स्वालिया अंजुम आत्मज श्री सादिक शेख	वार्ड नं. 12, शांति नगर, पांढरवानी, लालबर्रा जिला– बालाघाट (म.प्र.) पिन 481441	अनारक्षित (महिला)
4	योगीराम आत्मज श्री तुलसीराम	गिरधर फोटोकापी सेंटर गरियाबंद (छ.ग.) पिन–493889	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)

=//नियुक्ति की शर्तें//=

1. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
2. चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 07.08.2024 अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज, लेकर पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़ में सुबह 10.30 बजे से 5.30 बजे तक उपस्थित होवें।
3. छ.ग. शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 33/2023 के ज्ञापन कमांक 571/260/वि./नि./चार/ 2020 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार उन्हें 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
4. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने के समय मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

5. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने पर सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी ।
6. चयनित अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल एवं उनके किया–कलाप से सम्बन्ध नहीं रखेंगे।
7. चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे।
8. चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की अनुमति के बिना अन्य किसी पद के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे तथा अध्ययन जारी नहीं रख सकेंगे।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, उभयपक्ष द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
10. चयनित अभ्यर्थी को अनिवार्यतः दिनांक 07.08.2024 तक पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जायेगा।

23/07/2024

(जितेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क. 3108 दो–11–05 / 2023 रायगढ़, दिनांक 23.07.2024

1 रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

2 अध्यक्ष चयन समिति, जिला न्यायालय, रायगढ़

3 मनीष मेहर आत्मज श्री आशाराम मेहर, ग्राम व पो. रेड़ा, तह. सारंगढ़ जिला – सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) पिन–496450

4 झाडूराम श्रीवास आत्मज श्री मिलाप राम श्रीवास, मु. पो. व तहसील हसौद, व्हाया बिर्रा जिला–सक्ती (छ.ग.) पिन–495661

5 स्वालिया अंजुम आत्मज सादिक शेख, वार्ड नं. 12, शांति नगर, पांढरवानी, लालबर्रा जिला– बालाघाट (म.प्र.) पिन 481441

6 योगीराम आत्मज तुलसीराम, गिरधर फोटोकापी सेंटर, गरियाबंद (छ.ग.) पिन–493889

7 लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8 जिला नाजिर, जिला न्यायालय, रायगढ़ की ओर न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

9 सहायक प्रोगामर, जिला न्यायालय, रायगढ़ की ओर न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

23/07/2024

(जितेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़ (छ.ग.)